

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

2016/00147

प्रकरण संख्या : 05/2016 (निगरानी)

उनवान

खातून बेगम पत्नी अब्दूल मजीद जाति मुसलमान निवासी इटावा  
तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)

(निगराकार)

बनाम

1. रफीक मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पानी की  
टंकी के पास, इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत इटावा पदेन अध्यक्ष नगर पालिका इटावा तहसील  
पीपल्दा जिला कोटा

(गैर निगराकार)

- उपस्थित :- 1. श्री श्याम लाल सुमन (अभिभाषक निगराकार )  
2. लोकेश नन्दवाना (अभिभाषक गैरनिगराकार नं० 1)  
3. श्री मुकुट बिहारी (अभिभाषक गैरनिगराकार नं० 2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम -1994 विरुद्ध ग्राम  
पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का  
विक्रय विलेख नियम के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2007 पट्टा सं० 25981 को  
निरस्त करवाये जावत

प्रकरण संख्या : 04/2018 (निगरानी)

उनवान

खातून बेगम पत्नी अब्दूल मजीद जाति मुसलमान निवासी इटावा  
तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)

(निगराकार)

बनाम

1. मोहम्मद इकलाक पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी  
इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत इटावा पदेन अध्यक्ष नगर पालिका इटावा तहसील  
पीपल्दा जिला कोटा

(गैर निगराकार)

- उपस्थित :- 1. श्री श्याम लाल सुमन (अभिभाषक निगराकार )  
2. लोकेश नन्दवाना (अभिभाषक गैरनिगराकार नं० 1)  
3. श्री मुकुट बिहारी (अभिभाषक गैरनिगराकार नं० 2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम -1994 विरुद्ध ग्राम  
पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का  
विक्रय विलेख नियम के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2007 पट्टा सं० 27016 को  
निरस्त करवाये जावत

निर्णय दिनांक : 06.12.2019

1. निगराकार द्वारा ये निगरानियां अन्तर्गत धारा 97 राज० पंचायती राज अधिनियम 1994 में  
निगराकार के द्वारा प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत इटावा में

दिनांक 27.10.2007 को विवादित भूमि का गलत पट्टा गैरनिगराकार क्रम 1 को जारी किया जो न्याय नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। गैरनिगराकार क्रम 1 ने बिना स्वामित्व के, बिना अधिकार के ग्राम पंचायत इटावा ने विवादित भूमि का अवैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो पट्टा आवादी भूमि का नहीं है। ग्राम पंचायत को आवादी भूमि नहीं होने से एवम् कृषि भूमि होने के कारण कृषि भूमि के बाबत कोई पट्टा ग्राम पंचायत जारी नहीं कर सकती। विवादित भूमि खसरा नं० 2440 का बाड़ा था, जिस पर घांसी खां पुत्र अमीर खां काबिज है, जिन्होंने विवादित भूमि बाड़े के रूप में निगराकार को निवास हेतु दी है। घांसी खां निगराकार के नाना हैं, जो भूमि निगराकार की हैं, वह पुश्तैनी है और निगराकार के हिस्से में आई है। गैरनिगराकार क्रम 2 ने जो पट्टा जारी किया वह खसरा नं० 1786 का है, जो आवादी भूमि नहीं है। गैर निगराकार क्रम 2 ने निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया वह निगराकार की भूमि है, जो मिलीभगत करके बिना मौका देखे, बिना नोटिफिकेशन के, बिना गवाही के पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। साथ में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये हैं कि गैर निगराकार क्रम 1 पट्टे की आड़ में दिनांक 2.10.2016 को निगराकार की भूमि पर आया और निगराकार को धमकी दी कि विवादित भूमि का पट्टा मेरे हक में है, आप इस जमीन को खाली करें। इसके पूर्व कोई ज्ञान निगराकार को उक्त पट्टे के बाबत नहीं था। इस पर निगराकार ने कार्यालय में तलाश किया तो ग्राम पंचायत इटावा की पट्टे की फोटो प्रति प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम जानकारी हुई है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब जानकारी से पूर्व की अवधि क्षम्य योग्य होने से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब कण्डोन फरमाया जाकर निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत इटावा का आदेश दिनांक 27.10.2007 जिसके द्वारा पट्टा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकारान नं० 1 व 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रस्तुत दोनों निगरानियों के तथ्य एक समान होने से एकसाथ निर्णित की जा रही है।

3. निगराकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टे की भूमि कृषि भूमि है। जिसका पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त भूमि निगराकार की है जो उसे उसके नाना घांसी खां से प्राप्त हुई है। गैर निगराकार सं० 1 को जो पट्टा जारी किया गया वह खसरा नं० 1786 का है जो आवादी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से मौका देखकर बिना गवाही लिए तथा बिना नोटिफिकेशन के पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वकील निगराकार द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2010 (3)DNJ (Raj) Page 1147, 216(4) DNJ (Raj) Page 1799 & 2019(2) DNJ (Raj) Page 570 की नज़ीरे प्रस्तुत की हैं।

4. गैर निगराकार संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। जारी किये गये पट्टे की भूमि घांसी के खाते को भूमि नहीं है। जारी किये गये पट्टे की भूमि आवादी भूमि है जिसका नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगराकार आराजी ख० नं० 2437/2662 स्वयं घांसी के खातेदारी की होने व उक्त भूमि में बाड़ा होना बताते हैं परन्तु उक्त भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जाकर ख० नं० 1786 का पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा सही रूप से जारी किए जाने के कारण निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक गैर निगराकार सं० 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस आदेश जिसकी पालना में पट्टे जारी किये हैं उसको चेतान्ज नहीं किया है। ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पुराने मकान बने हुए थे उस भूमि पर काबिज व्यक्तियों को विधि अनुरूप पट्टे जारी किये हैं। ग्राम पंचायत इटावा ने जो पट्टा जारी किया है व ख० नं० 1786 का है जो आवादी भूमि का है। ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पट्टा सही रूप से जारी किए जाने के कारण निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का गहनातापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । निगरानी के साथ निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट में देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए दिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) (ख) के तहत पुराने मकान का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है । उक्त भूमि आबादी भूमि होने के संबंध में पटवारी द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है । आराजी ख0 नं0 1786 कृषि भूमि होने के संबंध में निगराकार द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । अतः निगराकार की आराजी ख0 नं0 1786 कृषि भूमि के संबंध में पेश की गई आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है । जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार आराजी ख0 नं0 2440, 2437/2662 घांसी पुत्र अमीर खां के खातेदारी में दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है निगराकार स्वयं को पट्टा संख्या 24576 जारी किया गया है परन्तु इसमें अंकित भूमि की सीमायें गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टे में अंकित भूमि की सीमायें भिन्न हैं । अतः गैर निगराकार सं0 1 को जारी पट्टा व निगराकार को जारी पट्टे भिन्न है । गैर निगराकार को जारी पट्टे की भूमि आबादी भूमि होने का तथ्य निगराकार सिद्ध नहीं कर पाये हैं तथा न ही उक्त भूमि निगराकार स्वयं अपनी होने सिद्ध कर पाये हैं । विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं । अतः ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाई जाती है ।

6. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकाराग की उपरोक्त दोनों निगरानी खारिज की जाती है ।

7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तक्कील दाखिल दफ्तर की जावे ।

8. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

मुद्रा

  
( श्री नरेन्द्र गुप्ता )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा